

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फॅक्स नं.-0141-2222403)  
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक : प.1(ग) (7)का/एसएमई/डीएलबी/18/19061

दिनांक : 21/3/18

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 338 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पद नाम	कहाँ से	कहाँ को
01.	श्री नेमीचन्द चौहान	स. प्र. अधिकारी	आदेशों की प्रतिका में	जैतारण
02.	संतरा कुमारी	फायरमैन	लोसल	सीकर
03.	श्री रविन्द्र कुमार यादव	फायरमैन	भरतपुर	अलवर
04.	श्री छगन लाल	फायरमैन	अलवर	भरतपुर

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक् हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त  
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)(7)का/एसएमई/डीएलबी/18/19062-19079 दिनांक : 21/3/18  
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
3. महापौर/आयुक्त/अध्यक्ष/सभापति/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, भरतपुर/अलवर/सीकर/लोसल/जैतारण।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/भरतपुर।
5. संबंधित कर्मचारी .....
6. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)